



कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
(अम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION  
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



उप क्षेत्रीय कार्यालय / Sub-Regional Office  
'पंचदीप भवन', पी-4, एम.आय.डी.सी., सातपुर नासिक-422007.  
'Panchdeep Bhawan', P-4, M.I.D.C., Satpur, Nasik - 422007.  
फोन: 0253-2351043 ई-मेल : jd-nasik@esic.nic.in

No:- 36-A/20/11/C/Assistant/Estt/2015

Date:14.10.2025

**Office Order No. 92 (A) of 2025**

Sanction has been accorded by the competent authority for All India LTC for the Block year 2022-2025 for visiting Akola, for **family** of Shri. Swatantrakumar Bholanath Gupta, Assistant (i.e. Wife, Son and Daughter) (LTC0000047586).

Shri. Swatantrakumar Bholanath Gupta, Assistant, shall furnish the railway ticket numbers, PNR numbers, etc. to the competent authority within three months from the date of return journey.

It is certified that the aforesaid employee / officer is likely to be re-posted in the same post presently held by him at his present place after the expiry of leave period. - **N/A**

It is also certified that he would have continued to officiate in the present cadre, but for his proceeding on leave and his leave period would count for increment. - **N/A**

It is certified that the aforesaid employee has sought permission to leave Headquarters and prefixed and suffixed with holidays as applied for in the leave application deemed to have been sanctioned and permitted to leave Headquarters. - **N/A**

Digitally signed by  
Sandeep Kumar  
Date: 15-10-2025  
16:55:37  
Assistant Director (Estt)

To,  
Shri. S. B. Gupta,  
Assistant,  
ESI Corporation,  
SRO, Nashik.

Copy to:-

1. The Deputy Director, CRI Br., ESIC, SRO Nasik for information and necessary action.
2. The Asst Director, Accounts Br., SRO Nasik for information and necessary action.
3. Office Order file.
4. Personal file.
5. PR Branch, SRO, Nashik for upload on website.
6. Rajbhasha Branch, SRO, Nashik for translation.

## कार्यालय आदेश सं. 2025 का 92(A)

सक्षम प्राधिकारी द्वारा श्री स्वतंत्रकुमार भोलनाथ गुप्ता, सहायक, के परिवार (अर्थात् पत्नी, पुत्र एवं पुत्री) हेतु अखिल भारतीय अवकाश यात्रा रियायत (All India LTC) की स्वीकृति ब्लॉक वर्ष 2022-2025 के अंतर्गत अकोला भ्रमण (LTC0000047586) के लिए प्रदान की जाती है।

श्री स्वतंत्रकुमार भोलनाथ गुप्ता, सहायक, को निर्देशित किया जाता है कि वे वापसी यात्रा की तिथि से तीन माह के भीतर रेलवे ट्रिकट क्रमांक, पी.एन.आर. क्रमांक आदि विवरण सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करें।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कर्मचारी / अधिकारी के अवकाश समाप्त होने के पश्चात उन्हें उनके वर्तमान कार्यरथल पर उसी पद पर पुनः पदस्थापित किए जाने की संभावना है। – लागू नहीं (N/A)

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यदि उक्त कर्मचारी अवकाश पर नहीं जाते, तो वे वर्तमान पद पर कार्यरत रहते; अतः उनकी अवकाश अवधि वेतनवृद्धि हेतु गणनीय होगी। – लागू नहीं (N/A)

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कर्मचारी ने मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्राप्त कर ली है तथा उनके अवकाश आवेदन के अनुसार पूर्व एवं पश्च अवकाश (prefixed एवं suffixed holidays) स्वीकृत माने जाएंगे और उन्हें मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सहायक निदेशक (स्था.)

सेवा में,

श्री एस.बी. गुप्ता,  
सहायक,  
क.रा.बी.निगम,  
उ.क्षे.का. नासिक

प्रति:-

1. उप निदेशक, रोकड़ शाखा, क.रा.बी.नि., उ.क्षे.का. नासिक — जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. सहायक निदेशक, लेखा शाखा, उ.क्षे.का. नासिक — जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. कार्यालय आदेश फाइल।
4. व्यक्तिगत फाइल।
5. पी.आर. शाखा, उ.क्षे.का. नासिक — वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. राजभाषा शाखा, उ.क्षे.का. नासिक — अनुवाद हेतु।